निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 695) पटना, मंगलवार, 30 जून 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

30 जून 2026

सं० एल०जी०–01–17/2026/5080/लेज––भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 जून 2026 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

[बिहार अध्यादेश संख्या–03, 2026]
बिहार चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 2026

बिहार एवं उड़ीसा चिकित्सा अधिनियम, 1916 (1916 का अधिनियम–2) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश

प्रस्तावना– चूँकि, बिहार राज्य में विधान मंडल सत्र में नहीं है;

और चूँकि बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण बिहार एवं उड़ीसा चिकित्सा अधिनियम, 1916 (1916 का अधिनियम–2) का, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने हेतु उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड–(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ।**–
   (1) इस अध्यादेश को बिहार चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 2026 कहा जा सकेगा।
   (2) यह बिहार राज्य के पूरे क्षेत्र में लागू होगा।
   (3) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. **धारा 2(c) का प्रतिस्थापन।**– बिहार एवं उड़ीसा चिकित्सा अधिनियम, 1916 (जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (c) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–
   "(c) "पंजीकृत चिकित्सक" अभिव्यक्ति का अर्थ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति है, और इसमें कोई भी चिकित्सा व्यवसायी शामिल है जिसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या भारत के किसी अन्य राज्य के राज्य चिकित्सा रजिस्टर में वैध रूप से दर्ज है, और जिसने राज्य में प्रैक्टिस के लिए स्व–प्रमाणन प्रस्तुत किया है।"

3. **धारा 2(d) का अंतःस्थापन।**– मूल अधिनियम की धारा 2 में उपधारा (c) के बाद निम्नलिखित उपधारा (d) अंतःस्थापित की जायेगी:–
   (d) "स्व–प्रमाणन का अर्थ है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या बिहार राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र।"

4. **नई धारा 17 A का अंतःस्थापन।**– मूल अधिनियम की धारा 17 के बाद निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी:–
   "17A. **स्व–प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधान।**
   (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी चिकित्सक जिसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में वैध रूप से दर्ज है, बिहार राज्य में चिकित्सा का प्रैक्टिस करने का हकदार होगा, बिना नए स्थानीय पंजीकरण या पूर्ववर्त्ती राज्य चिकित्सा परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के, बशर्ते कि वह परिषद को स्व–प्रमाणन प्रस्तुत करे।
   (2) परिषद स्व–प्रमाणन के आधार पर राज्य में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों का एक रजिस्टर बनाएगी।
   (3) परिषद को स्व–प्रमाणन मॉडल के तहत कार्यरत किसी भी चिकित्सक के पेशेवर कदाचार का दोषी पाए जाने पर बिहार राज्य में प्रैक्टिस करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा। ऐसा निलंबन इस धारा की उपधारा (2) के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को तुरंत सूचित किया जाएगा।
   (4) इस धारा के स्व–प्रमाणन प्रावधानों के तहत राज्य में विधिवत प्रैक्टिस करने वाले किसी भी चिकित्सा व्यवसायी को इस अधिनियम की धारा 30 और धारा 31 के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत व्यवसायी माना जाएगा।"

5. **धारा 33 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) में, विद्यमान प्रावधान के पश्चात् निम्नलिखित प्रावधान अंतःस्थापित किया जाएगा:–

"(ड.) किसी अन्य राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा स्व–प्रमाणन प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र, प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देश और प्रशासनिक तंत्र निर्धारित करने की शक्ति विशेष रूप से राज्य सरकार में निहित होगी।"

पटना, ले ज सय्यद अता हसनैन,
दिनांक : 26 जून, 2026 बिहार राज्यपाल।

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना, ले ज सय्यद अता हसनैन,
दिनांक : 26 जून, 2026 बिहार राज्यपाल।

विधि विभाग

अधिसूचना
30 जून 2026

सं० एल०जी०–01–17/2026/5081/लेज—बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 जून 2026 को प्रख्यापित बिहार चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (बिहार अध्यादेश संख्या–03, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

[Bihar Ordinance No.-03, 2026]
THE BIHAR MEDICAL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2026
AN
ORDINANCE

to further amend the Bihar and Orissa Medical Act, 1916 (Act- 2 of 1916).

Preamble:- WHEREAS, The Legislature of the State of Bihar is not in session;

AND WHEREAS, The Governor of Bihar is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend the Bihar and Orissa Medical Act, 1916 (Act- 2 of 1916), in the manner hereinafter appearing;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 of Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following Ordinance :-

1. Short title, extent and commencement.—

(1) This Ordinance may be called the Bihar Medical (Amendment) Ordinance, 2026.

(2) It shall extent to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. ***Substitution of section 2(c).***—In the Bihar and Orissa Medical Act, 1916 (hereafter in this Act referred to as the principal Act), in section 2, for sub-section (c), the following shall be substituted:-

"(c) the expression "registered practitioner" means any person registered under the provisions of this Act, and includes any medical practitioner whose name is validly entered in the National Medical Register or in the State Medical Register of any other State in India, and who has submitted a self-certification for practice in the State."

3. ***Insertion of section 2(d).***—In section 2 of the principal Act, after sub-section (c), the following sub-section (d) shall be inserted, which is as follows:-

(d) ***"Self-certification"*** means a certificate submitted by a medical practitioner registered with the National Medical Commission or any State Medical Council other than the State of Bihar, in the format as prescribed by the State Government."

4. ***Insertion of a new section 17A.***—After section 17 of the principal Act, the following section shall be inserted:

"17A. ***Practice on submission of self-certification.-***

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, any medical practitioner whose name is validly entered in the National Medical Register or any other State Medical Register, shall be entitled to practice medicine in the State of Bihar without requiring fresh local registration or a No Objection Certificate (NOC) from their previous State Medical Council, provided they submit a self-certification to the Council.

(2) The Council shall maintain a register of medical practitioners practicing in the State on the basis of self-certification.

(3) The Council shall have the power to suspend the right to practice within the State of Bihar for any practitioner operating under the self-certification model who is found guilty of professional misconduct. Such suspension shall be marked in the register maintained under sub-section (2) of this section and shall be immediately communicated to the concerned State Medical Council or National Medical Commission for appropriate action.

(4) Any medical practitioner lawfully practicing in the State under the self-certification provisions of this section shall be treated as a registered practitioner for the purposes of Section 30 and Section 31 of this Act."

5. ***Amendment of section 33.***—In section 33 of the principal Act, in sub-section (2), after the existing clauses, the following clause shall be inserted:-

"(e) to determine the format, procedural guidelines, and the administrative mechanism for the submission of self-certification by medical practitioners registered in any other State Medical Council or National Medical Register, the power to prescribe which shall be vested exclusively in the State Government."

Patna, **L T Gen SYED ATA HASNAIN,**
Dated: ***26th June, 2026*** ***Governor of Bihar.***

In exercise of the powers conferred under article 213 (1) of the Constitution, I hereby, promulgates this Ordinance.

Patna, **L T Gen SYED ATA HASNAIN,**
Dated: ***26th June, 2026*** ***Governor of Bihar.***

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 695-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in